

## सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण में सरकारी योजनाओं का योगदान

आरती राना

शोध छात्रा- कुमाऊँ यूनिवर्सिटी

नैनीताल, उत्तराखण्ड ।

डॉ० गुरेन्द्र सिंह

शोध निर्देशक-एच.एन.बी.पी.जी. कॉलेज खटीमा

जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड ।

### शोध सारांश

उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियाँ सुदूर पहाड़ी स्थानों में निवास करती हैं । अशिक्षा, अंधविश्वास, अज्ञात और कुरीतियों के कारण इन लोगों की समस्याएँ पर्याप्त जटिल हैं । आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अधिकांश जनजातियाँ परिवार ऋण ग्रस्तता के शिकार हैं । केन्द्र व राज्य सरकार के जनजातिय योजनाओं का क्रियान्वयन तथा भूमिहीन मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना आदि प्रमुख है । जनजातिय महिलाओं एवं लड़कियों की शिक्षा की ओर भी योजना में विशेष बल दिया गया है ।

उत्तराखण्ड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 2,56,129 है जो सम्पूर्ण भारत की अनुसूचित जनजातियों की संख्या का 0.3 प्रतिशत है । राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून तथा उधम सिंह नगर जनपदों में जनजातियों की संख्या अपेक्षाकस्त अधिक पाई जाती है । उत्तराखण्ड की पांच जनजातियों में थारू, बोकसा, भोटिया, जौनसारी, वनराजी में सबसे ज्यादा की जनसंख्या मात्र 0.2 प्रतिशत ही है । सन् 1975 में जाति जनजाति को सरकार ने आदिम जनजाति घोषित किया । भारत में ऐसे आदिम समूह की संख्या 74 है ।

## जनजाति कल्याण हेतु सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएँ ।

भारत सरकार जनजातियों के कल्याण के लिए स्वाधीनता प्राप्ति से ही जागरूक रही है । भारतीय संविधान में इन जातियों के कल्याण के लिए पर्याप्त उपबन्ध किये गये हैं । कुछ प्रमुख उपबन्धों में अनुच्छेद 275 (1) के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को जनजातीय कल्याण के लिए अनुदान देती है । अनुच्छेद 16 (4) तथा 335 के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं में और सरकारी नौकरियों में राज्य की जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित करने का अधिकार दिया गया है । पाँचवी अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद की नियुक्ति की व्यवस्था है । जिसमें अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं । अनुच्छेद 342 एवं 244 में राज्यपालों को जनजातियों के सन्दर्भ में विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैं ।

जनजातियों के कल्याण हेतु संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा इनके विकास हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती रही हैं ।

### **अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु सरकारी की कल्याणकारी योजनाओं का विवरण निम्नलिखित है –**

- 1— अनुसूचित जनजाति के बालक व बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण की योजना, इस योजना के तहत केन्द्र नये छात्रावासों के निर्माण अथवा वर्तमान छात्रावासों के विस्तार हेतु सहायता देता है । इस योजना के तहत 2007-08 तक छात्रावास निर्माण के लिए केन्द्र और राज्य सरकार आधी-आधी लागत वहन करते हैं ।
- 2— आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना – इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए रियायती ब्याज दर धनराशि दी जाती है ।
- 3— लघु ऋण योजना – लाभ में चल रहे वर्तमान स्वयं सहायता समूह के लिए अनुसूचित जनजाति के योग्य व्यक्तियों को छोटे और रोजगार उद्यमों – कार्यों के लिए वित्तीय सहायता यह योजना बनाई गई है ।
- 4— अनुदान द्वारा सहायता— सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वतन्त्रशासी निकायों द्वारा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की कुशलता उद्यमिता विकास सम्बन्धित प्रशिक्षण के लिए नियमित प्रशिक्षण के मामलों में सत प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ।

- 5- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत आर्थिक सहायता – अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । वित्तीय वर्ष 2010-2011 हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी जनपद देहरादून में बालक छात्रावास के भवन निर्माण को पूर्ण किये जाने हेतु रु०- 145.00 लाख की धनराशि का प्रावधान स्वीकृत किया गया ।
- 6- अनुसूचित जनजाति के पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना – अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की पुत्री की शादी हेतु अनुदान धनराशि 50,000 रु० दिये जाने का प्रावधान है ।
- 7- अटल आवास योजना – योजना का मूल उद्देश्य आवासहीन अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सतप्रतिशत अनुदान प्रदान करते हुए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है ।
- 8- गौरा देवी कन्याधन योजना – इस योजना के अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवार की बालिकाओं को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने पर बालिकाओं को आगामी पढ़ाई हेतु सरकार द्वारा अनुदान धनराशि स्वीकृत कराई जाती है ।

## **उद्देश –**

प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन का उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से सम्बन्धित लोगों को जागरूक करना है ।

उपरोक्त योजनाओं को लागू होने से समाज पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करना ।

## **निष्कर्ष –**

प्रस्तुत शोधपत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि अनुसूचित जनजाति की समाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आज भी पिछड़े हुए हैं इनके कल्याण हेतु आजादी के तुरन्त पश्चात से ही प्रयास किया जा रहा । भारत के संविधान में जनजाति के कल्याण हेतु कई प्रावधान किये गये । जनजाति के उत्थान हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है इस शोध से यह भी जानकारी मिली है कि लोग इन कई योजनाओं से अवगत ही नहीं हैं । केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जाति के कल्याण हेतु बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही कुछ योजनाओं के माध्यम से जनजातियां लाभ भी ले रही महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं बच्चों की शिक्षा सुचारु रूप से चल रही युवाओं को रोजगार के लिए माध्यम मिल रहे हैं । आदि ।

## **सन्दर्भ ग्रन्थ –**

- 1- निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून ।
- 2- वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ भारत 2011 ।
- 3- सकलानी, शक्ति प्रसाद, तराई – रुद्रपुर का इतिहास और विकास वर्ष 2000, गौरा प्रकाशन दिल्ली ।
- 4- एटकिंशन्, एडविन टी, हिमालियन्, गजेटियर उत्तराखण्ड प्रकाशन 2003, भाग-3, खण्ड-1,
- 5- रावत अजय, तराई के वन ओर बनवासी, नैनीताल, 1996